सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रांक 673 / स0क0 / छा0 / बायो0–आथे0 / 2024–25 दिनॉक–06.10.2024 द्वारा **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संस्थाओ के HOI/INO के EKYC करने के बाद बायोमैट्रिक आथेटिन्केशन कराये जाने का निर्देश प्राप्त है।** जिसके क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 343 / सूचना / 2024 दिनांक– 09 / 12 / 2024

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

सेवा में

प्राचार्य/प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी
समस्त शिक्षण संस्था
जनपद सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 673 /स0क0/छा0/बायो0–आथे0/2024–25 दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

विषय– **पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11–12) संस्थाओ के HOI/INO के EKYC करने के बाद बायोमैट्रिक आथेटिन्केशन कराये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपर्यक्त विषयक के सम्बन्ध में निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–2413/स0क0/7/611/2024–25 लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रो के डाटा को अग्रसारित करने के लिये छात्रवृत्ति पोर्टल पर जनपद मे स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओ द्वारा अपने लॉगिन पर INO एवं HOI का E-KYC करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी स्तर से शिक्षण संस्थाओ INO/HOI का आधार बेस बायोमैट्रिक आथेटिन्केशन किया जाना है।

अभी तक जिन **पूर्वदशम** (कक्षा 9–10) एवं **दशमोत्तर संस्था** (कक्षा 11–12) व अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओ ने अपने लॉगिन पर INO/HOI का E-KYC नही किया है, वे अपने लॉगिन पर INO/HOI का E-KYC करके अधोस्ताक्षरी कार्यालय मे दिनांक 09.12.2024 तक उपस्थित होकर प्रत्येक दशा में अपना बायोमैट्रिक आथेटिन्केशन अवश्य करा ले, उसके उपरान्त आपका बायोमैट्रिक आथेटिन्केशन नही किया जायेगा, जिसके कारण आपके पोर्टल से अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओ का डाटा अग्रसारित नही होगा। यदि पात्र छात्र/छात्राए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित होते है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी तथा उस संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा।

अतः सम्बन्धित शिक्षण संस्था दिनांक 09.12.2024 तक प्रत्यके दशा में अपने संस्था के INO/HOI का E-KYC करते हुए कार्यालय मे उपस्थित होकर बायोमैट्रिक आथेटिन्केशन कराना सुनिश्चत करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एम0पी0 सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित संस्थाओ को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक को सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित संस्थाओ को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।
6. उपनिदेशक, समाज कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
7. प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था बांसी सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित संस्थाओ को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।
8. जिला अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर